APP-A
Crim-1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ...उपखण्ड अधिकारी... मुकाम ...[illegible]...

...सरकार... बनाम ...शम्भू[illegible]...

किस्म मुकदमा ...136 L.R... नं. ...05... सन् ...2020...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/9/25	पत्रावली आदेश प्रार्थना पत्र 136 वास्ते पेश हुई। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया है कि ग्राम जाखोड़ा की जमाबंदी खाता सं0 169 में सहखातेदारान के मध्य हिस्से अशुद्ध हो रहे है जो कि शुद्धी योग्य है उक्त खाते का गत जमाबंदियों से विवरण निम्न प्रकार है–संवत् 2054–57 की जमाबंदी खाता सं0 136 में स्थिति निम्न प्रकार थी कुल किता 15/19.25 है0 में राजेश कुमारी पुत्री रघुवरदयाल हि0 1/4 ध्रुवनारायण पुत्र विष्णुदेवी बेवा शम्भुदयाल हि0 1/4 जाति कायस्थ सा0 कोटा, गजानन्द, बिरधीलाल पुत्रान मोतीलाल कमलादेवी पत्नि देवलाल हि0 1/4 प्रेमचंद बृजराज पुत्रान बजरंगलाल हि0 1/4 कौम माली सा0 देह दर्ज था जिसमें प्रत्येक सहखातेदारान की भूमि 4.8125 है0 बनती थी। नामा0 सं0 264/6.11.2000 से सहखातेदारान राजेशकुमारी द्वारा 4.8125 है0 में से 2.62 है0 का बेचान कर दिया जिस पर महावीर आ0 देवीलाल, छोटीबाई पत्नि बिरधीलाल सुशीला बाई पत्नि गजानन्द जाति माली सा0 देह किता 5/2.62 है0 का अलग खाता करते हुये खाते में किता 10/16.63 है0 भूमि रह गयी। जिसमें राजकुमारी की भूमि 2.1925 है0, ध्रुवनारायण वगै0 की भूमि 4.8125 है0, गजानन्द वगै0 की भूमि 4.8125 है0, प्रेमचंद वगै0 की भूमि 4.8125 है0 शेष रही थी परन्तु इसका अमल करते समय राजेश कुमारी की भूमि 2.1925 है0 के स्थान पर 1.89 है0 दर्ज होने से 0.3025 है0 भूमि खाते में कम दर्ज हो गयी। चूंकि हि0 219/1663 के स्थान पर 219/1925 दर्ज किया गया था। नामा0 सं0 390/20.08.04 से सहखातेदारान ध्रुवनारायण पुत्र विष्णुदेवी बेवा शम्भुदयाल द्वारा 3.25 है0 (22 बीघा) का बेचान हेमराज पुत्र प्रभूलाल को 7 बीघा (1.12 है0), दुर्गाशंकर पुत्र रतनलाल को 5 बीघा (0.80 है0), नेरश पुत्र बनवारीलाल को 5 बीघा (0.80 है0) सुरेश पुत्र रतनलाल को 5 बीघा (0.80 है0) किया था। परन्तु सहवन से किता 10/16.63 है0 भूमि में हेमराज हि0 1/12, दुर्गाशंकर 1/18, नरेश हि0 1/18, सुरेश हि0 1/18 दर्ज होने से ध्रुवनारायण पुत्र विष्णुदेवी बेवा शम्भूदयाल की भूमि 1.2925 है0 पर सहवन से नाम खाते दर्ज होने से छूट गया। नामा0 सं0 544/09.02.10 से सहखातेदार गजानन्द द्वारा अपना निहित हिस्सा हकत्याग कर देने से गजानन्द का नाम खाते से खारिज हो गया। नामा0 सं0 869/07.09.18 से राजेश कुमारी द्वारा 219/1925 (1.89 है0) भूमि का उपहार पत्र मोहम्मद अकरम पुत्र अहमद हुसैन को कर दिया था। नामा0 सं0 891/11.04.19 से सहखातेदार मोहम्मद अकरम द्वारा 0.80 है0 का बेचान बद्रीलाल पुत्र प्रभूलाल को कर दिया। नामा0 सं0 950 से सहखातेदार मोहम्मद अकरम द्वारा अपनी आराजी 1.09 है0 का बेचान प्रदीप सुमन पुत्र देवलाल को कर दिया है। गत वर्ष सेग्रीगेशन जमाबंदी अपडेशन में खाता एक न होने से सहखातेदारान मोहम्मद अकरम, हेमराज, दुर्गाशंकर, नरेश, सुरेश, के प्रत्येक के हिस्से में सहवन से	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

मोहम्मद अकरम के हिस्से में 30/1663 (0.30 है0), हेमराज हिस्सा 1/12 के स्थान पर 161/1663 (0.23 है0), दुर्गाशंकर का हिस्सा 1/18 के स्थान पर 107/1663 (0.15 है0), नरेश का हिस्सा 1/18 के स्थान पर 107/1663 (0.15 है0) तथा सुरेश का हिस्सा 1/18 के स्थान पर 107/1663 (0.15 है0) बेशी दर्ज हो गया। वर्तमान जमाबंदी में खाते की स्थिति निम्न प्रकार है किता 10/16.63 है0 में प्रदीप पुत्र देवलाल हि0 109/1663, मोहम्मद अकरम पुत्र अहमद हुसैन हि0 30/1663, बद्रीलाल पुत्र प्रभूलाल हि0 80/1663, बिरधीलाल पुत्र मोतीलाल, कमलादेवी पत्नि देवलाल हि0 481/1663, प्रेमचंद, बृजराज पुत्रान बजरंगलाल हि0 481/1663, हेमराज पुत्र प्रभूलाल हि0161/1663, दुर्गाशंकर पुत्र रतनलाल हि0 107/1663, नरेश पुत्र बनवारीलाल हि0 107/1663, सुरेश पुत्र प्रभूलाल हि0 107/1663 रहन बदस्तूर दर्ज है। वर्तमान में DILRMP प्रोग्राम व सेग्रीगेशन जमाबंदी अपडेशन कार्य चल रहा है अतः उक्त खाते को निम्न प्रकार शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रदीप सुमन पुत्र देवलाल हि0 109/1663, राजेश कुमारी पुत्री रघुवरदयाल हि0 3025/166300, जाति कायस्थ सा0 कोटा, बद्रीलाल पुत्र प्रभूलाल हि0 80/1663, बिरधीलाल पुत्र मोतीलाल, कमलादेवी पत्नि देवलाल हि0 48125/166300, प्रेमचंद, बृजराज पुत्रान बजरंगलाल हि0 48125/166300, हेमराज पुत्र प्रभूलाल हि0 112/1663, दुर्गाशंकर पुत्र रतनलाल हि0 80/1663, नरेश पुत्र बनवारीलाल हि0 80/1663, सुरेश पुत्र प्रभूलाल हि0 80/1663, ध्रुवनारायण पुत्र विष्णुदेवी बेवा शम्भूदयाल हि0 12925/166300 जाति कायस्थ सा0 कोटा। अतः खाता सं0 169 की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खाते के स्थान पर प्रस्तावित खाता अनुसार शुद्ध दर्ज किया जावे।

बाद तलबी अप्रार्थी हेमराज, दुर्गाशंकर, नरेश, सुरेश की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी राजस्थान सरकार के द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र जो अप्रार्थीगण के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज होने योग्य है, क्योंकि अपरोक्त आराजीयात के खातेदार राजेश कुमारी का 1/4 हिस्सा ध्रुव नारायण का 1/4 हिस्सा व शम्भूदयाल का 1/4 हिस्सा, बिरधी लाल, कमलादेवी का 1/4 हिस्सा जो किता 15 रकबा 19.25 है0 नियत था, अप्रार्थीगण को ध्रुव नारायण पुत्र विष्णुदेवी के द्वारा अप्रार्थीगण को अपने खातेदारी की आराजी प्रार्थी हेमराज व नरेश, दुर्गाशंकर सुरेश को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा बेचान किया गया, बेचान के बाद से ही अप्रार्थी के नाम से खातेदारी मे व राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया, आज भी अप्रार्थीगण के नाम से चला आ रहा है। उपरोक्त आराजीयात में बाद मे परिवर्तन हुआ जिसका किता 10 रकबा 16.63 है0 कायम किया गया, अप्रार्थीगण के द्वारा क्रय की गयी आराजी में हेमराज पुत्र प्रभू लाल का 112/1663 हिस्सा दुर्गाशंकर पुत्र रतनलाल का 80/1663 नेरश पुत्र बनवारी का 80/1663, सुरेश पुत्र प्रभूलाल का 80/1663 हिस्सा कायम हुआ है जो गलत है। अप्रार्थीगण के द्वारा खसरा नं0 834 का रकबा 7.91 है0 किस्म नहरी दोयम में से ध्रुव नारायण के द्वारा बेचान किया गया है, बेचान के समय पूर्व 20 बिस्वा की बीघा कायम था, बाद में सेटलमेंट 16 बिस्वा में कायम हो गया है, 16 बिस्वा में कायम होने के बाद में उपरोक्त आराजीयात राजस्व कर्मचारियों के द्वारा बिस्वा के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की गयी है, आज भी अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक काबि व काश्त करते हुये आ रहे है अप्रार्थीगण को गलत रूप से पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र में शामिल किया गया है, जो प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध चलने योग्य नही है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र राज्य सरकार

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

का चलने योग्य नही है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी राज्य सरकार के द्वारा माननीय न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया असदभाविक है जो खारिज होने योग्य है, क्योंकि अपरोक्त आराजी राजेश कुमारी, ध्रुव नारायण, शम्भूदयाल व बिरधी लाल, कमलादेवी का 1/4 1/4 कायम था, जिसका किता 15 रकबा 19.25 है0 नियत था, 1/4 सहखातेदार ध्रुव नारायण के द्वारा अप्रार्थीगण को 19.25 है0 में से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा अप्रार्थीगण को बेचान किया गया, बेचान के बाद से ही अप्रार्थी मालिक व काबिज चले आ रहे है तथा बेचान के समय से ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद है तथा इंतकाल अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज हो कर रिकार्डेड खातेदार काबिज व काश्त कर रहे है। तथा उपरोक्त किता का जो सहखातेदार के द्वारा उपरोक्त आराजी को बेचान किया गया, बेचान किस किस को किया गया राजस्व रिकॉर्ड यथावत रहा, उपरोक्त रिकार्ड के मुताबिक हेमराज पुत्र प्रभूलाल का 161/16.63 है0 कायम किया गया तथा दुर्गाशंकर का 107/16.63 है0 कायम किया गया, नरेश का 107/16.63 है0 व सुरेश पुत्र प्रभूलाल का 107/16.63 है0 कायम किया गया जो उपरोक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद है। अप्रार्थीगण रिकॉर्ड के मुताबिक ही काबिज व काश्त कर रहे है वर्तमान में प्रार्थी हेमराज के पास 8.4 है0 यानि सवा आठ बीघा एवं नरेश ओर सुरेश दुर्गाशंकर के पास 5.12 है0 यानि पोने छः बीघा राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद है ओर रिकार्डेड खातदोरा है काबिज है कय के समय से ही उपरोक्त आराजी पर काबिज व काश्त कर रहे है। जो माननीय न्यायालय में राज्य सरकार के द्वारा किसी राजनैतिक दुर्भावना वश जो अन्य काश्तकारों के द्वारा जिसको जमीन का बेचान किया गया उन व्यक्तियों ने रंजिश वश जानबूझ कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया गया जो असदभाविक है जो खारिज किये जाने योग्य है। कुल रकबा 19.25 है0 मे से सहखातेदार द्वारा 2.62 है0 भूमि पर अलग से खाता कायम करवा लिया गया जो किता 10 रकबा 16.63 है0 कायम कर दिया गया है।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से बहस सुनी गई।

बहस प्रार्थना–पत्र उभयपक्ष की ओर से सुने जाने के पश्चात् पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया गया है कि नामा0 सं0 264/6.11.2000 से सहखातेदारान राजेशकुमारी द्वारा 4.8125 है0 में से 2.62 है0 का बेचान कर दिया जिस पर महावीर आ0 देवीलाल, छोटीबाई पत्नि बिरधीलाल सुशीला बाई पत्नि गजानन्द जाति माली सा0 देह किता 5/2.62 है0 का अलग खाता करते हुये खाते में किता 10/16.63 है0 भूमि रह गयी। जिसमें राजकुमारी की भूमि 2.1925 है0, ध्रुवनारायण वगै0 की भूमि 4.8125 है0, गजानन्द वगै0 की भूमि 4.8125 है0, प्रेमचंद वगै0 की भूमि 4.8125 है0 शेष रही थी परन्तु इसका अमल करते समय राजेश कुमारी की भूमि 2.1925 है0 के स्थान पर 1.89 है0 दर्ज होने से 0.3025 है0 भूमि खाते में कम दर्ज हो गयी। चूंकि हि0 219/1663 के स्थान पर 219/1925 दर्ज किया गया था। प्रार्थी की ओर से अपने उक्त कथनों के समर्थन में राजस्व जमाबंदी ग्राम आखोड़ा सम्वत 2054–2057 खाता सं0 136, राजस्व जमाबंदी ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

APP-A
Crim-1

जाखोड़ा सम्वत 2058–2061 खाता संख्या 145 एवं नामा0 सं0 264 दिनांक 01.11.2000 की प्रति पेश की है। राजस्व जमाबंदी ग्राम जाखोड़ा सम्वत 2054–2057 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम जाखोड़ा के खाता 136 कुल किता 19 कुल रकबा 19.25 है0 में राजेश कुमारी पुत्री रघुवरदयाल का 1/4 हिस्सा अर्थात 4.8125 है0 दर्ज था। उक्त नामा0 पत्र के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि खातेदार राजेश कुमारी पुत्री रघुवरदयाल द्वारा अपने दर्ज हिस्से 1/4 (4.8125 है0) में से 2.62 है0 का बेचान महावीर आत्मज देवीलाल, छोटी बाई पत्नि बिरधीलाल, सुशीला पत्नि गजानन्द को कर दिया। महावीर आत्मज देवीलाल, छोटी बाई पत्नि बिरधीलाल, सुशीला पत्नि गजानन्द द्वारा क्रय की गई भूमि का खाता पृथक से दर्ज किया गया। शेष खसरा नम्बरान का नया खाता 145 बना जिसमें कुल खसरे 10 एवं कुल रकबा 16.63 है0 था। 2.62 है0 का बेचान किये जाने के पश्चात राजेश कुमारी की भूमि 2.1925 है0 अर्थात 219/1663 हिस्सा शेष बचा था। परन्तु उक्त नामा0 का अमल करते समय राजस्व जमाबंदी ग्राम जाखोड़ा सम्वत 2058–2061 खाता संख्या 145 में राजेश कुमारी का हिस्सा 219/1663 के स्थान पर त्रुटिपूर्ण रूप से 219/1925 दर्ज किया गया जिसकी पुष्टि राजस्व जमाबंदी ग्राम जाखोड़ा सम्वत 2058–2061 खाता 145 से होती है।

प्रार्थी का यह भी कथन रहा है कि नामा0 सं0 390/20.08.04 से सहखातेदारान ध्रुवनारायण पुत्र विष्णुदेवी बेवा शम्भुदयाल द्वारा 3.25 है0 (22 बीघा) का बेचान हेमराज पुत्र प्रभूलाल को 7 बीघा (1.12 है0), दुर्गाशंकर पुत्र रतनलाल को 5 बीघा (0.80 है0), नेरश पुत्र बनवारीलाल को 5 बीघा (0.80 है0) सुरेश पुत्र रतनलाल को 5 बीघा (0.80 है0) किया था। परन्तु सहवन से किता 10/16.63 है0 भूमि में हेमराज हि0 1/12, दुर्गाशंकर 1/18, नरेश हि0 1/18, सुरेश हि0 1/18 दर्ज होने से ध्रुवनारायण पुत्र विष्णुदेवी बेवा शम्भूदयाल की भूमि 1.2925 है0 पर सहवन से नाम खाते दर्ज होने से छूट गया। प्रार्थी की ओर से अपने उक्त कथनों के समर्थन में राजस्व जमाबंदी ग्राम जाखोड़ा सम्वत 2062–2065 खाता सं0 148, बयनामा दिनांक 31.12.1985 एवं नामा0 सं0 390 दिनांक 20.08.2004 की प्रति पेश की है। बयनामा के पृष्ठ नं0 2 पर यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि ध्रुवनारायण एवं विष्णु देवी द्वारा अपने हिस्से की भूमि मे से खसरा नं0 526 की 22 बीघा 1 बिस्वा का बेचान हेमराज पुत्र प्रभूलाल 7/22, दुर्गाशंकर पुत्र रतनलाल 5/22 एवं नरेश पुत्र बनवारीलाल 5/22, सुरेश पुत्र प्रभूलाल 5/22 को कर दिया है। परन्तु नामा0 सं0 390 में हेमराज पुत्र प्रभूलाल हि0 1/12, दुर्गाशंकर पुत्र रतनलाल हि0 1/18, नरेश पुत्र बनवारीलाल हि0 1/18 एवं सुरेश पुत्र प्रभूलाल हि0 1/18 त्रुटिपूर्ण दर्ज किया गया है। उक्त भूमि में हेमराज पुत्र प्रभूलाल हि0 1/12, दुर्गाशंकर पुत्र रतनलाल हि0 1/18, नरेश पुत्र बनवारीलाल हि0 1/18 एवं सुरेश पुत्र प्रभूलाल हि0 1/18 त्रुटिपूर्ण दर्ज होने से ध्रुवनारायण पुत्र विष्णुदेवी बेवा शम्भूदयाल की भूमि 1.2925 है0 पर खाते दर्ज होने से छूट गई जिसे शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

नामा0 सं0 869/07.09.18 से राजेश कुमारी द्वारा 219/1925 (1.89 है0) भूमि का उपहार पत्र मोहम्मद अकरम पुत्र अहमद हुसैन को कर दिया था। सहखातेदार मोहम्मद अकरम द्वारा नामा0 सं0 891/11.04.19 से 0.80 है0 का बेचान बद्रीलाल पुत्र प्रभूलाल को एवं नामा0 सं0 950 से आराजी 1.09 है0 का बेचान प्रदीप सुमन पुत्र देवलाल को कर दिया है। जिस कारण मोहम्मद अकरम द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

भूमि 1.89 है0 का बेचान किया जा चुका है। अतः मोहम्मद अकरम का खाता संख्या 169 में कोई हिस्सा शेष नही रहा है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर प्रार्थना पत्र अनुसार शुद्धि के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार लाडपुरा को भिजवायी जावे

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 18/9/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा